

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्री प्रधान देवगम, पिता- स्व० मडकी देवगम, निवासी ग्राम- खप्परसाई, थाना- मुफ्फासिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- दुम्बीसाई, थाना नं०- 643 के अन्दर खाता नं०- 80, प्लॉट नं०- 91, रकवा- 0.05 एकड़ भूमि क्रेता श्रीमति सुशीला पाडेया, पति- श्री साधुचरण पाडेया ग्राम- बडाचिरु, थाना- मुफ्फासिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 815, दिनांक- 21.11.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्रीमति सुशीला पाडेया, पति- श्री साधुचरण पाडेया ग्राम- बडाचिरु, थाना- मुफ्फासिल के पास 3,30,000.00/- (तीन लाख तीस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना मुफ्फासिल के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। गुमडा पीड मानकी का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति प्रयाप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं गुमडा पीड मानकी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्री प्रधान देवगम, पिता- स्व० मडकी देवगम, निवासी ग्राम- खप्परसाई, थाना- मुफ्फासिल, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने भूमि क्रेता श्रीमति सुशीला पाडेया, पति- श्री साधुचरण पाडेया ग्राम- बडाचिरु, थाना- मुफ्फासिल के पास जमीन को 3,30,000.00/- (तीन लाख तीस हजार) रूपये में मौजा- दुम्बीसाई, थाना नं०- 643 के अन्दर खाता नं०- 80, प्लॉट नं०- 91, रकवा- 0.05 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।